राजस्थान–सरकार

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देसूरी पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत(आर.ए.एस)
राजस्व विधिक मूल वाद संख्या 39/2020
तारीख दायरा 25.11.2020

प्रार्थी

1. तहसीलदार देसूरी (भूमिधारी)

अप्रार्थीगण

1. मुकेश कुमार दवे/सोहनलाल
   जाति–ब्राहमण, निवासी–नारलाई
2. संदीप/नखरलाल
   जाति–सोनी, निवासी–नाडोल, तहसील–देसूरी

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1. श्री ईश्वरसिंह नायब तहसीलदार देसूरी पैरोकार सरकार
2. अप्रार्थीगण एक पक्षीय कार्यवाही

आदेश **दिनांक**

प्रार्थी तहसीलदार देसूरी (भूमिधारी) द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर जाहिर किया कि ग्राम देसूरी के खसरा नम्बर 3703/1950 रकबा 0.1075 किस्म बा0 1 अप्रार्थीगण 1 की खातेदारी भूमि है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ग्राम नारलाई अप्रार्थीगण संख्या 2 ग्राम नाडोल तहसील देसूरी के मूल निवासी है। जिन्होंने ग्राम देसूरी में स्थित कृषि भूमि के ख.न. 3703/1950 रकबा 0.1075 किस्म बा0 1 में दुकानों को बनाकर कृषि भूमि पर अकृषि प्रयोजनार्थ बिना सपरिवर्तन रूपान्तरण कराये कृषि भूमि पर दुकानों का निर्माण कर रहे हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:05 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 तक भूमि पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बिना भूमि सपरिवर्तन कराये बिना ही भूमि पर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ सपरिवर्तन नहीं कराया गया है। भूमि पर सपरिवर्तन कराये बिना ही भूमि पर अलग–अलग दुकानें बनाकर निर्माण किया गया। जिसमें राजस्थान भू–राजस्व कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सपरिवर्तन नियम 2007 के तहत जो वाणिज्यक बिना प्रक्रिया अपनाये एवं उससे बचने व सार्वजनिक सुविधा के लिए भूमि नहीं छोड़ने की गरज से वाणिज्यक में उपयोग ले रहे है। जिसमें खातेदार द्वारा अपनी खातेदारी अधिकारों की शर्तो की पालना नहीं की जा रही है जिससे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का खातेदार द्वारा स्पष्ट उलघंन है।

अतः इनके विरूद्ध ग्राम देसूरी ख.नं. 3703/1950 रकबा 0.1075 हेक्टर किस्म बा0 1 भूमि को सिवायचक घोषित करते हुए बेदखल करने के आदेश प्रदान करावे। प्रार्थना–पत्र के साथ जमाबंदी मौका फर्द, नक्शा, सपरिवर्तन आदेश की फोटो प्रतिया संलग्न है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया प्रार्थीगण को काफी अवसर दिए जाने के बावजूद न तो स्वयं उपस्थित हुए एवं न ही अपना वकील प्रतिनियुक्त किया गया। एवं न ही जवाब पेश किया गया अतः जवाब बंद किया गया।

प्रार्थी तहसीलदार देसूरी(भूमिधारी) द्वारा दिनांक 30.7.2021 को पूर्व में प्रस्तुत प्रकरण विड्रो किए जाने बावत इस आश्य का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया कि मौजा ग्राम देसूरी स्थित खसरा नम्बर 3703/1950 रकबा 0.1075 हेक्टर किस्म बा0 दो0 स्थित अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त भूमि पर बिना सपरिवर्तन कराए वाणिज्यक उपयोग का दुकाने निर्मित की गई। जिससे इस कार्यालय द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।

अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा इस कार्यालय के आदेश संख्या एक 12 (3)()राज/सप/16/316 दिनांक 08.03.2016 के द्वारा उक्त भूमि में से 0.0540 हेक्टर भूमि यानि 540 वर्गमीटर का कृषि भूमि का आवासीय ईकाई प्रयोजनार्थ रूपान्तरण कराये जाने से उक्त प्रस्तुत प्रकरण को विड्रो किए जाने की अनुशंषा की जाती है। प्रार्थना–पत्र संलग्न पत्रावली किया गया।

प्रकरण में प्रार्थी तहसीलदार देसूरी को सुना गया। पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विड्रो किए जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.7.2021 का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:05 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन करने [illegible] अप्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि का आवासीय रूपान्तरण कराये जाने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को विड्रो किए जाने बाबत अनुशंषा प्रार्थना–पत्र के मध्यनजर प्रकरण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही जरिए विड्रोवल खारिज की जाती है।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अप्रार्थीगण को सुचित किया जाता है है कि वाणिज्यक प्रयोजनार्थ कार्यवाही करने हेतु सक्षम कार्यालय में प्रकरण प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आदेश आज दिनांक 30.7.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया

सहायक कलेक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.15 14:32:05 IST
Reason: SelfAttested